

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

भोपाल, दिनांक 17/06/2021

क्रमांक एफ 16-16/2014/बी-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स ट्रायडेंट ग्रुप द्वारा बुदनी, जिला सीहोर में स्थापित टेक्सटाईल परियोजनाओं को राज्य शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत विद्युत शुल्क से छूट सुविधा में संशोधन संबंधी अभ्यावेदन पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

"विद्युत शुल्क में छूट संबंधी ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 तथा तत्कालीन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग (वर्तमान में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग) के आदेश दिनांक 04.10.2014 अनुसार प्राप्त सुविधा में संशोधन करते हुए कम्पनी की विद्युत शुल्क से छूट सुविधा प्राप्त इकाईयों को पात्र शेष अवधि में 0.25% की दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जाये, जो दिनांक 10.06.2020 से सुविधा की शेष अवधि हेतु प्रभावशील होगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(संजय कुमार शुक्ल)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

भोपाल, दिनांक 17/06/2021

पृ.क्रमांक एफ 16-16/2014/बी-ग्यारह

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला-सीहोर।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स ट्राइडेंट कॉर्पोरेशन लि., होशंगाबाद रोड, बुदनी जिला - सीहोर।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग